न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, फैजाबाद।

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या**–198 / 2025

**कम्प्यूटर पंजीयन संख्या**–1738 / 2025

साजन कुमार पुत्र नरेश चौधरी निवासी ग्राम–कृष्णापुर, निकट–डी0पी0एस0 स्कूल, थाना–हिलसाा, जनपद–नालन्दा बिहार ।

.....अभियुक्त।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–13 / 2022

अन्तर्गत धाराः–420 भा0दं0सं0 व 66 आई0टी0 एक्ट

थाना–साईबर काईम

जिला–अयोध्या।

**दिनांक**–29.08.2025

प्रार्थी / अभियुक्त साजन कुमार की तरफ से अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र धारा 482 बी0एन0एस0 के अंतर्गत मु0अ0सं0–13 / 2022 अंतर्गत धाराा–420 भा0दं0सं0 व 66 आई0टी0 एक्ट थाना–साईबर काईम जिला अयोध्या के प्रकरण में अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।

अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी / अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उपरोक्त अपराध में गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में ना. मित अभियुक्त नहीं है, महज गलत एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाते हुए आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का घटना उपरोक्त से कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं है। उक्त कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थी के ऊपर लगाये गये आरोप मनगढ़न्त, बेबुनियाद, असत्य व निराधार है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित कोई भी अपराध नहीं बनता है, जबकि प्रार्थी के साथ ही सोची–समझी साजिश के तहत पूर्ण नियोजित तरीके से दर्ज कराया गया है। स्थानीय पुलिस व वादी मुकदमा के द्वारा दुरभिसंधि करते हुए प्रार्थी को अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष हैं। अतः उसे जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कि. थत प्रकरण में आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है । यदि अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार

Digitally signed by ARCHANA TEWARI
Date: 2025.08.29 17:16:38 IST
Reason: bel
Location: District and Sessions Court

की जाती है, तो उसके द्वारा साक्षीगण को डराने व धमकाने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी । अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना एवं समस्त प्रपत्रों तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत मामले में चार्जशीट न्यायालय में आ चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी थी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है।

विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में पेंशन बनाने को लेकर झूंठ बोलकर वादी मुकदमा से ऑनलाईन रूपये धोखे से हड़प लेने का आरोप है।

उपरोक्त मामले में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त साजन कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 व धारा 66 आई0टी0 एक्ट के तहत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। थाने की आख्या अनुसार वादी के मोबाईल पर फोन नं0 9330248072 से फोन आया कि मैं ट्रेजरी आफिस से बोल रहा हूं तुम्हारी पेंशन बननी है अपने अभिलेख सत्यापित कराये , जिस पर वादी मुकदमा ने अपने अभिलेख ऑनलाईन दे दिया। खाता संख्या–11082770608 भारतीय स्टेट बैंक बाराबंकी से वादी के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 24.03.2022 को 300000, 200000, 200000, 300000, कुल दस लाख रूपये कटने की जानकारी हुयी। तब वादी के होश उड़ गये, जिसके संबंध में थाना साईबर क्राईम जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 13/2022 अंतर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 व धारा 66 आ. ई0टी0 एक्ट बनाम मो0 नं0 9330248072 के धारक नाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। वादी मुकदमा के साथ धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक खाता संख्या–141201507429, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में लगा हुआ मो0नं0 9060252429 की आई0एम0ई0आई0 नं0 355884595610195 को अभियुक्त साजन कुमार उपरोक्त से बरामद की गयी है और मो0नं0 का प्रयोग करके साजन के द्वारा ही ठगी की धनराशि एटीएम व अन्य माध्यमों से निकाल ली गयी है। कथित प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र की समस्त धाराएं 7 वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, व परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त के प्रकरण में भूमिका एवं विवेचना पूर्ण होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जॉच ब्यूरो व अन्य 2022 लीव लॉ (एस0सी0) में दिए गए

दिशा निर्देशों के तहत अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र शर्तों के अधीन स्वीकार होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त साजन कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र मु0 अ0सं0–13/2022 अंतर्गत धारा–420भा0दं0सं0 व धारा 66 आई0टी0 एक्ट थाना–साईबर क्राईम जिला–फैजाबाद/अयोध्या के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर अथवा पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की स्थिति में उसे द्वारा 50,000–50,000 हजार रूपये की दो जमानतें एवं समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय या पुलिस की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

1–अभियुक्त साक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

2–अभियुक्त इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके परिजनों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, न ही उन्हें धमकायेगा।

3–अभियुक्त पुलिस अधिकारी को विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा।

4–अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा।

5–अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

6–अभियुक्त अपना वर्तमान निवास स्थान बगैर न्यायालय की अनुमति के एवं पूर्व सूचना के परिवर्तित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इससे संबंधित न्यायालय को सूचित करेगा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–12 फैजाबाद।